



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57666

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10514/2026

गंगा शिक्षा प्रसार समिति

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य एवं ८ अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक अगरवाल, अरविंद अगरवाल

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 37

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. अन्य प्रत्यर्थी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 ('1860 का अधिनियम') की धारा 5-ए के तहत याचिका में विरोधी हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित प्रस्तावित बिक्री के दावे के लिए सहमति देने के बाद, उन्हें नोटिस जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, विशेष रूप से पारित किए जा रहे आदेश की प्रकृति को देखते हुए।
2. याचिकाकर्ता, एक पंजीकृत सोसायटी होने के नाते, दिनांक 03.12.2025 के आदेश से व्यथित है, जिसके तहत जिला न्यायाधीश, फिरोजाबाद ने प्रकीर्ण वाद संख्या 168/2025 यानी धारा 5-ए के तहत आवेदन को खारिज कर दिया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदन में वर्णित कृषि भूमि सोसायटी के लिए बेकार है, सोसायटी/समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार, सोसायटी ने लाभकारी उद्देश्यों के लिए इसे बेचने का इरादा किया था और उस उद्देश्य के लिए, उपरोक्त आवेदन दायर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया था जिसमें सभी विपरीत पक्षों ने अपनी लिखित सहमति दी थी, फिर भी, विद्वान जिला न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया है।

4. निवेदन यह है कि हालांकि सभी दस्तावेज रिकॉर्ड पर थे, संपत्ति के अधूरे विवरण और/या अन्य विवरणों के बारे में संदेह पैदा करते हुए, आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि रिकॉर्ड पर कुछ दस्तावेजों, विशेष रूप से सोसायटी के संकल्प पर ध्यान नहीं दिया गया है और हालांकि समीक्षा आवेदन को प्राथमिकता दी गई थी, उसे भी खारिज कर दिया गया है।

5. विद्वान ए.सी.एस.सी. प्रस्तुत करता है कि 1860 के अधिनियम की धारा 5-ए के तहत अनुमति प्रदान करने के प्रकरण में, यह हमेशा संबंधित न्यायालय का विवेक होता है और यदि एक या अन्य पैरामीटर या पहलू अनुमति प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए जाते हैं, तो अनुमति से इनकार करना हमेशा न्यायालय के विवेक में होता है और, वर्तमान प्रकरण में, यह निश्चित नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रबंधन की विधिवत निर्वाचित समिति है, जैसा कि स्वयं जिला न्यायाधीश द्वारा संदेह किया गया है, और क्या सोसायटी विवाद के संबंध में कुछ अन्य कार्यवाही लंबित है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित आदेश में नोट की गई कमियां भी अनुमति देने से इनकार करने का आधार थीं।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, रिट सी संख्या 51037/2008 (किशन एजुकेशन सोसाइटी बनाम जिला न्यायाधीश, मेरठ और अन्य) में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.10.2008 के आदेश पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि भले ही न्यायालय के समक्ष प्रकरण जहां धारा 5-ए के तहत आवेदन में कुछ विवरणों की कमी है, आवेदन को अस्वीकार करने के बजाय, आवेदक को कमियों/कमियों को दूर करने के लिए समय दिया जा सकता है और इसलिए, वर्तमान प्रकरण में भी, उसी का सहारा लिया जा सकता है। संक्षेप में, प्रस्तुत करना यह है कि यदि याचिकाकर्ता को नया आवेदन दायर करने की अनुमति दी जाती है, तो इस याचिका में आक्षेपित आदेश को दावे के नए सिरे से विचार करने में बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

7. 1860 के अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के साथ पठित धारा 5-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, रेस ज्यूडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है अर्थात् यह कहना कि एक बार धारा 5-ए के तहत एक आवेदन को एक या दूसरे आधार पर खारिज कर दिया जाता है, विशेष रूप से जहां कुछ कमियां देखी गई हैं, आवेदक को नया दावा करने से नहीं रोका जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, जबकि इस स्तर पर, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है, हालांकि, किए गए प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका का निस्तारण निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ किया जाता है: -

- (i). याचिकाकर्ता को दिनांक 03.12.2025 के आक्षेपित आदेश के आलोक में अपने दावे के समर्थन में पक्षों और दस्तावेजों की उचित श्रृंखला के साथ एक नया आवेदन दायर करने की अनुमति है;
- (ii). यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो उसे आक्षेपित आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना अपनी गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से माना जाएगा;
- (iii). यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन केवल उसी की पूर्व अस्वीकृति के कारण खारिज नहीं किया जाएगा;
- (iv). संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दर्ज होने की तारीख के चार महीने के भीतर आदेश पारित किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र)

20 मार्च, 2026

ज्योत्सना